तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज, अपील संख्यां 84/2025 बउनवान वीरमाराम बनाम कमलादेवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 28.08.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री डुगरसिंह महेचा।
2. रेस्पों. संख्या 01 से 04 की तरफ से अधिवक्ता श्री डालूराम गोदारा।
3. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मौजा चैनाणियों की ढाणी, पटवार हल्का हरखाली, तहसील बायतु, हाल तहसील बाटाडू के खेत खसरा संख्या 789/296, 791/448 रक़बा क्रमशः 2.3623, 0.5339 व मौजा लुनाडा, पटवार क्षेत्र हरखाली, तहसील बायतु हाल बाटाडु के खसरा संख्या 1550/779 रकबा 6.3992 प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में न्यायाहित में दिनांक 17.04.2023 को अपीलाधीन आदेश पारित किया था। उक्त अपीलाधीन आदेश द्वारा केवल मात्र मौक़े की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था उक्त आदेश में रेकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित नहीं किया गया था। रेस्पों. संख्या 01 से 05 द्वारा अपीलाधीन आदेश का फायदा उठाते हुए हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को रेस्पों. संख्या 06 से 09 को बेचान कर दिया गया। अब ओर आगे बेचान करने पर आमादा हैं। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं हैं। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को स्वकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही हैं या नहीं यह दावे में तय होगा। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं है। अपीलांट द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी

नहीं है। रेस्पों. द्वारा अपीलांट के कब्जा–काश्त में कभी भी दखलअंदाजी नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। रेस्पों. संख्या 06 से 09 हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड सहखातेदार एवं बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा–काश्त होने से मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन, रेस्पोडेंटस, के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वकील अपीलांट द्वारा रेस्पों. संख्या 06 से 09 को खातेदार साबित करने हेतु कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है। जिससे यह साबित होता हैं कि अपीलांट अपने पैरों पर खड़े होकर हस्तगत प्रकरण को लड़ने में असमर्थ रहा है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

28/8/2024

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर